संख्या:06/2024/114ई-2/तेरह-2024-1785597

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 09 फरवरी, 2024

विषयः- मेसर्स केयान डिस्टिलरीज प्रा० लि०, प्लाट नं०-बी-2, सेक्टर 26, गीडा, औद्योगिक क्षेत्र, भीटी रावत, सहजनवा, जनपद गोरखपुर में 300 कि०ली० प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 1050 लाख ब०ली० क्षमता की ग्रेन पर आधारित औद्योगिक आसवनी स्थापित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:जी-132/दो-प्रा.डी.-258/केयान डिस्टिलरी गोरखपुर, दिनांक 29-01-2024 तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 05-02-2024 में लिए गए निर्णय सम्बन्धी कार्यवृत्त संख्या:104ई-2/तेरह-2024-1785597, दिनांक 07-02-2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 29-01-2024 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं आद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स केयान डिस्टिलरीज प्रा.लि., प्लाट नं.-बी- 2, सेक्टर 26, गीडा, औद्योगिक क्षेत्र, भीटी रावत, सहजनवा, जनपद-गोरखपुर को 300 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 1050 लाख लीटर वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता की अनाज पर आधारित औद्योगिक आसवनी, जिसके अन्तर्गत अब्सोल्यूट अल्कोहल का उत्पादन एवं विक्रय किया जायेगा, स्थापित किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आसवनी/इकाई द्वारा निम्नलिखित शर्तों का अक्षरश: अनुपालन करते हुये उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा :

(1) ग्रेन से अल्कोहल उत्पादन किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-33/2021-810ई- 2/तेरह-2021-107/2013 दिनांक 26-03-2021 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन तथा नियमानुसार भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा आसवनी चलाये जाने से पूर्व प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(2) ग्रेन से अब्सोल्यूट/एनहाइड्रस अल्कोहल उत्पादन किये जाने हेतु इकाई द्वारा उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामंजस्य स्थापित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों को संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 26-03-2021 के प्रस्तर- 3(4)(छ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) नई औद्योगिक अल्कोहल उत्पादन करने वाली आसवनी की स्थापना हेतु आई.डी.आर. एक्ट, 1951 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित यथावश्यक औपचारिकतायें पूर्ण करना आवश्यक होगा।

(4) इकाई द्वारा उत्पादन शुरू करने से पूर्व पर्यावरण, वन एवं प्रदूषण नियंत्रण सहित विभिन्न अन्य नियमों/अधिनियमों व स्थानीय विधि व्यवस्थाओं के अन्तर्गत समस्त वांछित औपचारिकतायें पूर्ण करने के साथ-साथ समस्त सुसंगत अनापत्ति प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(5) आबकारी आयुक्त द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आवेदक पर कोई सरकारी राजस्व बकाया न हो।

(6) शासन द्वारा आसवनी स्थापना की अनुमति प्रदान किये जाने के पश्चात आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा इकाई को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से 300 कि.ली. प्रतिदिन ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी स्थापना हेतु प्रदत्त इनवायरमेन्टल क्लीयरेन्स दिनांक 29.07.2022 तथा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जल एवं वायु हेतु दिनांक 03.03.2023 द्वारा इकाई को 300 कि.ली. प्रतिदिन एथनॉल का उत्पादन किये जाने हेतु प्राप्त ''कन्सेन्ट टू इस्टेब्लिस'' के अनुसार एवं निर्धारित शर्तों/औपचारिकतायें पूर्ण होने से सुनिश्चित होने के उपरान्त सुसंगत नियमों/अधिनियमों की व्यवस्था के अन्तर्गत इकाई को आसवनी स्थापना हेतु अनुज्ञापन निर्गत किया जायेगा।

(7) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) तथा भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) द्वारा निर्धारित मानको का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) आसवनी द्वारा एथनॉल संचय टैंकों में राडार बेस्ड लेबल ट्रान्समीटर एवं रिसीवर तथा एथनॉल संचय टैंकों के पश्चात मास फ्लो मीटर लगाया जाना अनिवार्य होगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव।

संख्याः06/2024/114(1)ई-2/तेरह-2024-1785597,तद्दिनांकः-

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन ।
(2) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) अपर मुख्य सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in